

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 49/231
(जीसीएमएस संख्या 2021/141)

निर्णय दिनांक: 24-12-2024

1. शिवलाल पुत्र श्री कुंभदास जाति साध निवासी सीलवा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

-अपीलांट

-बनाम-

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

-रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 24-05-2003
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ मुकाम बीकानेर


उपस्थिति:-

1. श्री धीरेन्द्र भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलापचन्द, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-

अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 24-05-2003 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में बतौर सामान्य आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट को बतौर भूमिहीन


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर



तहसील पूगल के चक 1 एस एम के मुरब्बा नम्बर 178/56 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। उक्त आवंटित भूमि का कब्जा अपीलांट को आज दिनांक तक नहीं मिला एवं आवंटन आज दिन तक बहाल है। अपीलांट द्वारा अपनी आवंटित भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु कार्यालय में जाने पर पता चला कि उक्त भूमि अन्य व्यक्ति को आवंटित की जा चुकी है एवं राजस्व रिकॉर्ड में अन्य व्यक्ति के नाम से दर्ज की जाकर वादगत भूमि की खातेदारी सनद प्राप्त कर ली गई है। अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि का कब्जा नहीं मिल सकता है एवं अपीलांट भूमिहीन व्यक्ति होने के साथ अपीलांट का पेशा कृषि का है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर पूर्व में आवंटित भूमि का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपीलांट को समान श्रेणी की अन्य भूमि आवंटन करने की कार्यवाही करे।

इस संबंध में अपीलांट की आवंटित भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट को जब भूमि आवंटित की गई थी तब कब्जा प्राप्त करने हेतु न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि को अन्य व्यक्ति को आवंटित कर दिया जाना किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर



4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24-05-2003 के विरुद्ध अपील दिनांक 24-02-2021 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट द्वारा आवंटित भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं करने के कारण भूमि का आवंटन किसी अन्य व्यक्ति को किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।
5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. (1) जहाँ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 24-05-2003 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 24-02-2021 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते हैं। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि विलम्ब के मामलों में न्यायालय का दृष्टिकोण समग्र रूप से न्याय का उद्देश्य हासिल करने का होना चाहिए। विलम्ब शमन निम्न में से एक या से एक से अधिक कारणों पर आधारित होना चाहिए। मियाद कानून लोक नीति का पूरक है। इसका उद्देश्य किसी पक्षकार के अधिकारों का हनन करना नहीं होना चाहिए। न्याय प्राप्ति हेतु अंतिम प्रयास तक कानूनी उपचार जीवित रहने चाहिए। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत एवं प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में




राजस्थान हाईकोर्ट
बीकानेर

against non-petitioner being ex-parte order." अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत एवं प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष भूमिहीन आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलांट को चक 1 एच एस एम के मुरब्बा नम्बर 175/59 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 24.10 बीघा भूमि का आवंटन बतौर भूमिहीन कर दिया गया।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा प्रार्थी को भूमि आवंटन की जाने के पश्चात आवंटित भूमि का कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की गई तथा प्रार्थी द्वारा कार्यालय में भूमि का कब्जा लेने जाने पर पता चला कि प्रार्थी को आवंटित भूमि का आवंटन किसी अन्य व्यक्ति को हो गया है। उक्त व्यक्ति ने आवंटित भूमि की खातेदारी प्राप्त कर ली है।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की कतई जांच नहीं की गई कि प्रार्थी को आवंटित रकबा किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर दिया गया है। अपीलांट आज दिनांक तक भूमिहीन है एवं भूमिहीन होने एवं अपीलांट का पेशा कृषि कार्य होने के कारण अपीलांट का आवंटन आज तक बहाल है परन्तु आवंटित भूमि का कब्जा अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सका है क्योंकि प्रार्थी/अपीलांट को आवंटित भूमि किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित हो गई है। प्रस्तुत प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए अपीलांट की आवंटित भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को कर दिया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जो पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा



राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर




कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के पत्रांक दिनांक एप5(ई)(55)उपनि/78/1279-1307 दिनांक 01-02-1978 प्रस्तुत किया जिसमें यह अभिलिखित किया गया है कि "दोहरा आवंटन हो जाने से अन्यत्र भूमि देना है अर्थात जिन्हें एकबार पहले भूमि आवंटन हो चुका है, किन्तु किसी कारण वश आवंटित भूमि का कब्जा नहीं मिला है या कब्जा बदलना आवश्यक हो गया है। पहले ऐसे विशेष प्राथमिकता के लोगों को लॉटरी से भूमि दी जावे"।



8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांत की अपील स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 16-12-1988 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांत के आज दिनांक की पात्रता की जांच करने एवं सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए व सबूतों जांच करते हुए नियमानुसार समान श्रेणी की भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर 24¹²/₂₀₂₄ सरे इजलास सुनाया गया।


(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व बीकानेर अधिकारी
बीकानेर